निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –06/2021 **दिनांकः 13.01.2022**

अनवान

1. फरजाना बानु पुत्री शफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
2. नसीम बानो पत्नि शफी मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

............अपीलांट्स

।। बनाम ।।

1. ग्राम पंचायत बानसेन जरिये सरपंच ग्रा0पं0 बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा स्वीकृत नामांतरण सं0 1804, 1805 दिनांक 05.02.2014 मौजा ग्राम बानसेन कार्यालय ग्राम पंचायत बानसेन

उपस्थित– श्री सुरपाल सिंह गौड वकील अपीलार्थी

अपीलांट्स की ओर से अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा उक्त नामांतरकरण 1804, 1805 दिनांक 05.02.2014 न्याय निर्णय के विरुद्ध जाकर जो नामांतरण तस्दीक किया है वह वाक्याती तथ्यो से हटकर गलत खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ग्रा0पं0 बानसेन द्वारा मृतक शफी मोहम्मद का विरासतीय नामांतरकरण फरजाना बानु एवं नसीम बानो जो कि मृतक शफी मोहम्मद की पुत्री एवं पत्नि है, के संबंध में इस आधार पर निरस्त कर दिया कि [illegible] मौके पर कब्जा नहीं है जो बिल्कुल मिथ्या [illegible] जबकि अपीलांट मृतक शफी मोहम्मद के वैधानिक [illegible] तथा संयुक्त परिवार की

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कृषि आराजीयात में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है फिर भी अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के कब्जा नहीं होना मानते हुए नामांतरकरण निरस्ती का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा नामांतरकरण पृष्ठ की कलम संख्या 09 से 13 के अंकन को सही दर्शाया है लेकिन मौके पर कब्जा नहीं होने बाबत किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट अपने अधिनस्थ या पंचायत मेम्बर से नहीं करवाई फिर भी बिना जांच पडताल के ही कब्जा नहीं होने का जो आधार माना है व अवैधानिक एवं बिना किसी आधार का होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि मृतक शफी मोहम्मद के एक पुत्री फरजाना बानु एवं पत्नि नसीम बानो है ऐसी स्थिति में मृतक की सम्पूर्ण विरासत अपीलांट को ही प्राप्त होनी है फिर भी अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना संयुक्त खातेदारान जिसमें कब्जा किसी प्रकार से कोई मायने नहीं रखता है उक्त तथ्यो के आधार बनाते हुए नामांतरकरण निरस्ती का जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को नहीं थी क्योंकि अपीलांट अनपढ होकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली है जिसे कानुन की किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है। सर्वप्रथम दिनांक 26.11.2021 को पटवारी हल्का से अपने खाते की नकल निकलवाने से ज्ञात हुआ की मृतक शफी मोहम्मद का विरासतीय नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त कर दिया है जिस पर उसी समय नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2[illegible]1 को नकल प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट [illegible] अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक राय प्राप्त प्राप्त कर अपील तैयार करवाई जो बिना देरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

के अंदर अवधि के पेश है। फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य कराने के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रा0प0 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा स्वीकृत नामांतरण सं. 1804, 1805 दिनांक 05.02.2014 को निरस्त फरमाये जाकर विवादित आराजीयात में अपीलांट को मृतक शफी मोहम्मद के वारिसान अपीलांट्स होने से नामांतरकरण अपीलांट्स के हक में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए0डी0 से प्रेषित कर तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण सं. 1804, 1805 दिनांक 05.02.2014 पर निर्णय पारीत करते समय अपीलार्थीयो को सूचित नहीं किया गया ना हि कोई जांच पडताल की गई, जबकि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में प्रत्येक खातेदार का सम्पूर्ण आराजीयात के प्रत्येक इंच पर हक अधिकार होता है। ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर ग्राम पंचायत न्याय का एक सशक्त माध्यम होता है किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा अपीलांट्स जो तत्कालीन खातेदार शफी मोहम्मद जिनकी मृत्यु हो चुकी है के वैधानिक उत्तराधिकारी है। इसके बावजूद इनके नाम विरासतीय नामांतरकरण को मौके पर कब्जा नहीं है के आधार पर निरस्त कर दिया गया। जिसे स्वीकार किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। सिविल प्रकिया संहित 1908 की धारा 107 (1) क में

उपखण्ड अधिकारी
पदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:39 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

प्रद्वत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत बानसेन के नामान्तरकरण संख्या 1804, 1805 दिनांक 05.02.2014 पर पारीत ग्राम पंचायत बानसेन का निर्णय अपास्त किया जाता है। एवं मृतक शफी मोहम्मद के वैधानिक एवं जायंदा उत्तराधिकारी अपीलांट्स फरजाना एवं नसीम बानो के होने से उनके नाम नवीन नामांतरण खोलने के आदेश दिया जाता है।

निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भादसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner